राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र–कोरटा

पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 04/2016
दायरा तिथि 14.01.2016
निर्णय तिथि 20.06.2016

वादीगण:–	बनाम:	प्रतिवादीगण:–
1–स्व.पुरा पुत्र केराजी के का.मु.– 1/1–गणेश पुत्र पुराजी पुत्र केराजी 1/2–राजीराम पुत्र सवदाजी पुत्र पुराजी पुत्र केराजी 1/3–रताराम पुत्र सवदाजी पुत्र पुराजी पुत्र केराजी 1/4–समेलाराम पुत्र सवदाजी पुराजी पुत्र केराजी 2–स्व.हेमा पुत्र केसाजी के का.मु.– स्व.भेरा पुत्र हेमाजी के का.मु.– 2/1–अबीयाराम पुत्र भेराजी 2/2–जोराराम पुत्र भेराजी 2/3–मगाराम पुत्र हेमाजी पुत्र केसाजी जातिगण रेबारी निवासीगण कोरटा तहसील सुमेरपुर		1–रती पत्नी स्व.सकारामजी 2–गुदी पुत्री स्व.सकारामजी 3–धीरू पुत्री स्व.सकारामजी 4–राधा पुत्री स्व.सकारामजी 5–इन्दरा पुत्री स्व.सकारामजी नाबालिग जरिए माता प्रतिवादी सं.01 रती जातिगण मेणा निवासीगण कोरटा तह.सुमेरपुर 6–स्व.पुना पुत्र रुगनाथजी के का.मु. स्व.भगा पुत्र पुनाजी के का.मु.– 6/1–पोसी पत्नी स्व.भगारामजी 6/2–पाबू पुत्री स्व.भगारामजी नाबालिग 6/3–देवी पुत्री स्व.भगारामजी नाबालिग जरिए वलीया पोसी पत्नी स्व.भगारामजी 7–लच्छीया पुत्र पुनाजी 8–खेता पुत्र रुगनाथजी 9–जवाना पुत्र रुगनाथजी जातिगण रेबारी निवासीगण कोरटा तहसील सुमेरपुर 10–तहसीलदार सुमेरपुर (पाली)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 RTAct,1955 एवं सपठित धारा 136 RLRAct,1956

–: नि र्ण य :–

दिनांक 20.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र–कोरटा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा कोरटा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 689 व 690 के हाल खसरा नं. 583 रकबा 0.69 हेक्टर व खसरा नं. 584 रकबा 0.06 हेक्टर कुल रकबा 0.75 हेक्टर के बारे में वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत सेटलमेंट विभाग की त्रुटि को दुरूस्त करते हुए प्रतिवादी सं.01 लगाय 05 का नाम हटाते हुए खातेदारी घोषणात्मक व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के तहत बंटवाडा करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदिया संवत् 2024–27, 2068–71, खतौनी बंदोबस्त संवत 2009–28, 2037–56, नामान्तरकरण सं.13 व 70 गत व हाल ट्रेस–नक्शे इत्यादि की छाया प्रतिया पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

लगातार–2

Scanned by CamScanner

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। यह पत्रावली इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी–तहसीलदार सुमेरपुर ने वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया है कि विगत् सेटलमेंट ग्राम कोरटा के खसरा नं. 690 रकबा 2)4 बीघा हेमा वल्द केसा कौम राईका सा.देह खातेदार एवं खसरा नं. 689 रकबा 2)10 बीघा पुरीया वल्द केरा, रूगनाथ वल्द उमा कौम रेबारी सा.देह खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज थी, हाल भू–प्रबंध के मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नं. 583 बने जिसका क्षेत्रफल रकबा 0.69 हेक्टर खातेदार नरसा वल्द जेता 1/2 कौम मेणा, पुरीया वल्द केरा, रूगनाथ वल्द उमा 1/2 कौम राईका के नाम भू–प्रबंध विभाग द्वारा मिसल बंदोबस्त में खाता कायम किया गया जिसके खाता नंबर 61 है। इसके अलावा तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी तथाकथित जांच रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के नरसा वल्द जेता का नाम 1/2 हिस्सा में दर्ज कर दिया गया है जो काबिल दुरूस्ती के है। प्रश्नगत् मामले में अन्य प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से कोई उजर–आपत्ति व्यक्त नहीं की है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य दस्तावेजों व तथाकथित जांच रिपोर्ट के तथ्यों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् वादपत्र में उल्लेखित व अभिव्यक्त कथनों की बखुबी पुष्टि होती है और इस आधारित हमारे विधिक विचारों में वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादीगण का यह वादपत्र कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाना एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में संबंधित खातेदारों के मध्य उनकी सहमति के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को अधिकृत किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा कोरटा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 583 रकबा 0.69 हेक्टर व खसरा नं. 584 रकबा 0.06 हेक्टर कुल रकबा 0.75 हेक्टर के बारे में सेटलमेंट विभाग की त्रुटि को दुरूस्त करते हुए प्रतिवादी सं.01 लगाय 05 का नाम खातेदारी से हटाते हुए बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के खातेदार घोषित किया जाता है, साथ ही वादीगण के हक–हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलंदाजी या बैचान/हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, इसके अलावा उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में संबंधित खातेदारों के मध्य उनकी सहमति के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का कोरटा उपरोक्त निर्णय/डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय/डिक्री बरोज आज दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोरटा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner